

हरियाणा सरकार ने कथि पछिड़ा वर्ग आयोग का गठन

चर्चा में क्यों?

13 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुरूप हरियाणा सरकार ने पछिड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्त दिर्शन सहि (सेवानवृत्त) इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा, पूर्व कुलपति डॉ. एस.के. गक्खड़, श्याम लाल जांगड़ा और अनुसूचति जाति एवं पछिड़ा वर्ग कल्याण वभिग के महानदिशक इस आयोग के सदस्य, जबकि अनुसूचति जाति एवं पछिड़ा वर्ग कल्याण वभिग के वशिष सचवि मुकुल कुमार सदस्य सचवि के तौर पर नयुक्त कथि गए हैं।
- इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा पछिड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (2016 का 9) की धारा 3 की उप-धारा-1 तथा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पछिड़ा वर्ग आयोग का गठन कथि है।
- उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन यथा उपबंधति कार्यों का नरिवहन करते समय आयोग राज्य में पछिड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परस्थितियों का अध्ययन करने, सरकार में पछिड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों और सूकीमों का अध्ययन करने, शैक्षणिक संस्थानों में पछिड़े वर्गों से वदियार्थियों के लयि उपलब्ध लाभों का आकलन करने, पछिड़े वर्गों के युवाओं के लयि उपलब्ध रोज़गार अवसरों का अनुमान लगाना और रोज़गार अवसरों में वृद्धि करने के लयि उपायों की सफ़िरशि करने का कार्य करेगा।
- इसके अलावा आयोग पछिड़े वर्गों के युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लयि सामयिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में पछिड़े वर्गों के लयि आरक्षण के अनुपात का प्रावधान कथि जाने के लयि अध्ययन करना और सफ़िरशि करने जैसे कार्य करेगा। साथ ही, ऐसे उपायों का भी अध्ययन कर सफ़िरशि करेगा, जो पछिड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण के लयि आवश्यक हो।
- गौरतलब है कि 10 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पछिड़ा वर्ग आयोग का नए सरि से गठन करने की घोषणा की थी, जो पछिड़ा वर्ग के लोगों और संबंधति जातियों को हर प्रकार की सुवधि एवं लाभ देने के उद्देश्य से कार्य करेगा।